विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग है, भाग एक नगरीय स्थानीय निकाय और भाग दो पंचायती राज संस्थायें। भाग दो में दो अध्याय हैं, अध्याय एक में नगरीय स्थानीय निकायों पर विहंगावलोकन, अध्याय दो में लेन-देनों की लेखापरीक्षा का विवरण है भाग दो में तीन अध्याय है, अध्याय तीन में पंचायती राज संस्थाओं पर विहंगावलोकन, अध्याय चार में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अध्याय पाँच में लेन-देनों की लेखापरीक्षा का विवरण है।

भाग - 1 : नगरीय स्थानीय निकायों

अध्याय- 1 नगरीय स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण अंतर्गत लिये जाने वाले कदम का डी.एल.एफ.ए. द्वारा पालन नहीं किया गया। हांलांकि महालेखाकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण संचालित किया जा चुका था, लेखापरीक्षा योजना के लिए महालेखाकार की स्वीकृति डी.एल.एफ.ए. द्वारा प्राप्त नहीं की गयी तथा नमूना निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रेसित नहीं किया गया था।

(कंडिका 1.1 से 1.8)

अध्याय -2 लेनदेनों की लेखापरीक्षा

हाट बाजार के निर्माण कार्य में राशि ₹ 30.28 लाख व्यय एवं कार्य पूर्णता की नियत अवधि के पूर्ण होने के तीन वर्ष उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहा।

(कंडिका 2.1)

राजकिशोर नगर, बिलासपुर में निर्माण स्थल का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य प्रांरभ करने के कारण राशि ₹ 1.08 करोड़ का अवरूद्ध रहना एवं कार्य का अपूर्ण रहना।

(कंडिका 2.2)

निर्माण स्थल का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य प्रांरभ करने के कारण क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ एवं राशि ₹ 55.46 लाख अवरूद्ध रही।

(कंडिका 2.3)

आवासों के निर्माण कार्य में तीव्रता सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण लागत में वृद्धि एवं आवासों का अपूर्ण रहना।

(कंडिका 2.4)

शहरी गरीबों के आवासों के निर्माण कार्य अतिक्रमण मुक्त निर्माण स्थल का स्वामित्व सुनिश्चित किये बिना प्रारम्भ करने के कारण राशि ₹ 13.45 करोड़ की लागत वृद्धि।

(कंडिका 2.5)

मांग का यथोचित आंकलन सुनिश्चित किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण राशि ₹ 20.25 लाख की लागत से निर्मित दुकान खाली रहे तथा अन्य स्थान पर निर्माणाधीन दुकान अपूर्ण रहे जिनपर राशि ₹ 16.50 लाख का व्यय किया गया था।

(कंडिका 2.6)

योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्य प्रदाय किये जाने एवं क्रियान्वयन संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफलता के कारण वाल्मिकी आवास योजना अंतर्गत आवासीय क्वार्टरों का अपूर्ण रहना एवं राशि ₹ 1.01 करोड़ की लागत वृद्धि।

(कंडिका 2.7)

भाग-2 पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय-3 पंचायती राज संस्थाएं का विहंगावलोकन

डी.एल.एफ.ए. का लंबित आपत्तियों की महत्वपूर्ण संख्या निराकृत नहीं किये गये थे। वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के स्वंय के कर राजस्व से निधि का कम हस्तांतरण किया गया था। वर्ष 2012-13 में निधि का हस्तांतरण द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा के अनुरूप था।

(कंडिका 3.1 से 3.10)

अध्याय-4 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का निष्पादन लेखापरीक्षा

बी आर जी एफ का केन्द्रीय उद्देश्य सभी योजनाओं और कार्यक्रम से अभिसरण के माध्यम से तथा नीचे स्तर पर भागीदारी के साथ एकीकृत जिला योजना की तैयारी से पिछड़े क्षेत्रो में चारों ओर बड़ा बदलाव लाना था। पिछड़ेपन एवं विकास के लापता बुनियादी ढांचे के कारणों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण नहीं कराया गया जिसकी वजह से नियोजन प्रक्रिया अप्रासांगिक थी। गाँव, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड और जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन की कमी थी। बी आर जी एफ के तहत् वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं से शायद ही परामर्श किया गया और शहरी क्षेत्रो में वार्ड सभा से कभी भी परामर्श नहीं किया गया। संस्थागत व्यवस्था के साथ ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में व्यवसायिक समर्थन का भी अभाव था। योजना तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता संस्थाओ को शामिल किये जाने के बाबजूद वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी में विलम्ब और वार्षिक कार्ययोजना में अमान्य कार्यो को शामिल किये जाने संबंधी कमियाँ पायी गई। योजना निधि के व्यपवर्तन और सावधि खातों में जमा के साथ ही ब्याज रहित खातों में निधि को जमा किया जाना भी देखा गया। योजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता जाँच के अभाव, अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और पूर्ण योजनाओं के गैर उपयोग के कारण भी प्रभावित हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अमले आदि के प्रशिक्षण में कमी

की वजह से मानव पूँजी निर्माण में कमी हुई। निगरानी अपर्याप्त थी। डीपीसी की भूमिका बी आर जी एफ के लिए योजना के अनुमोदन तक सीमित थी और डीपीसी को मार्गदर्शन, एकीकृत जिला योजना को तैयार करने, निगरानी और परिणाम के मूल्यांकन के लिए तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन शायद ही उपलब्ध थे। सामाजिक अंकेक्षण और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायो के निष्पादन की समीक्षा के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं था।

(कंडिका 4.1 से 4.1.15)

अध्याय-5 लेनदेनों की लेखापरीक्षा

तेल शोधक मिल की आपूर्ति एवं स्थापना बिना निविदा के राशि ₹ 18.47 लाख की लागत से की गयी। बिजली आपूर्ति के अभाव के कारण, जिसके लिए अग्रिम कार्यवाही नही की गयी, तेल शोधक मिल निष्क्रिय पड़ी रही।

(कंडिका 5.1)

निर्माण कार्य के पूर्व में ही माँग के यथोचित आंकलन सुनिश्चित न करने से राशि ₹ 40.90 लाख की निर्मित सम्पत्ति अनुपयोगी रही।

(कंडिका 5.2)

मूलभूत योजना अंतर्गत प्रावधानित निधि से राशि ₹ 44.22 लाख का व्यय अनाधिकृत कार्यों पर किया गया।

(कंडिका 5.3)